झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–180 वर्ष 2017

1. मुश्तारी रहमान, मो0 फहीमुद्दीन की पत्नी, निवासी–एच0 नं0–32, रोड सं0–07, आजादनगर, मानगो, डाकघर एवं थाना–मानगो, टाउन–जमशेदपुर, जिला–सिंहभूम पूर्व, पिन–832110 (झारखंड)

2. सलीमुद्दीन अंसारी, पे0–स्वर्गीय मोहब्बत अली अंसारी, निवासी ग्राम–गंगुडीह, डाकघर–हल्दी पोखरा, थाना–पोटका (कोवाल), जिला–पूर्वी सिंहभूम, पिन–831002 (झारखंड)

3. सईदा बेगम, स्वर्गीय मो0 उस्मान की पत्नी, निवासी–एच0 नं0–35, रोड सं0–12, जवाहर नगर, सी0पी0–2बी, आजादनगर, डाकघर, थाना–मानगो, टाउन–जमशेदपुर, जिला–सिंहभूम पूर्व, पिन–831012 (झारखंड)

.... याचिकाकर्त्तागण

बनाम्

1. झारखंड राज्य

2. सचिव, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विकास विभाग, झारखंड सरकार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, डाकघर–धुर्वा, थाना–जगन्नाथपुर, जिला–रांची (झारखंड)

3. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, परियोजना भवन, डाकघर–धुर्वा, थाना–जगन्नाथपुर, जिला–रांची (झारखंड)

4. जिला शिक्षा अधीक्षक, पूर्वी सिंभूम, डाकघर और थाना–साकची, टाउन–जमशेदपुर, जिला–सिंहभूम पूर्व (झारखंड)

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रमाथ पटनायक**

याचिकाकर्त्ताओं के लिए :– मेसर्स अमित कु0 दास और पूजा कुमारी, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए :– ए0जी0 का जे0सी0

04/07.02.2017 तत्काल रिट आवेदन में, याचिकाकर्त्ताओं ने अन्य बातों के साथ–साथ वैधानिक ब्याज के साथ देय राशि पर अनुपयुक्त छुट्टी के लिए छुट्टी नकदीकरण के भुगतान के लिए उत्तरदाताओं को रिट/निर्देश के लिए प्रार्थना की है क्योंकि याचिकाकर्त्ताओं को इसका भुगतान नहीं किया गया है।

2. तथ्य, जैसा कि रिट आवेदन में खुलासा किया गया है, यह है कि याचिकाकर्त्ताओं को वर्ष 1973, 1978 और 1978 में क्रमशः केंद्रीय करीमीया मिडिल स्कूल, साकची (जमशेदपुर) में शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और 01.08.2010, 30.06. 2014 और 31.03.2015 को क्रमशः सेवानिवृति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत हुए थे। विचाराधीन स्कूल, जहाँ से याचिकाकर्त्तागण सेवानिवृत हुए थे, एक सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक मिडिल स्कूल है और विचाराधीन स्कूल के कर्मचारियों के वेतन और सेवानिवृत लाभों के भुगतान की सभी खर्चे सरकारी खजाने से राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित और निधित किया जा रहा है।

3. पार्टियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

4. याचिकाकत्ताअंओं के विद्वान अधिवक्ता यह स्वीकार करते हैं कि याचिकाकर्त्ता की शिकायत बहुत संकीर्ण दायरे में निहित हैं और डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0 506, 509 और 512 वर्ष 2013 में पारित इस न्यायालय के निर्णय से पूरी तरह से आच्छादित है। जहां तक छुट्टी नकदीकरण के भुगतान के लिए मुद्दे का संबंध है,

याचिकाकर्त्तागण सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक मिडिल स्कूल के सेवानिवृत कर्मचारी हैं और यह मुद्दा अनिर्णीत विषय नहीं है, इस न्यायालय के द्वारा मरियत तिर्की बनाम झारखंड राज्य और अन्य में पारित निर्णय के मद्देनजर जो (2014 (1) जे0बी0सी0जे0 465) में रिपोर्ट की गई और अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्पेशल लीव टू अपील (सी) संख्या (एस) 20606–20607/2014 में दिनांक 15.12.2014 के निर्णय के द्वारा पुष्टि किया गया था। तद्नुसार, याचिकाकर्त्ता को छुट्टी नकदीकरण राशि के भुगतान के लिए दिए गए निर्णय के मद्देनजर रिट याचिका का निपटान किया जा सकता है। याचिकाकर्त्ताओं ने प्रतिवादी सं0–4 को अनुलग्नक–4 श्रृंखला के द्वारा अपने संबंधित अभ्यावेदन दिए हैं लेकिन उक्त अभ्यावेदन पर आज तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।

5. उत्तरदाताओं के लिए उपस्थित होने वाले ए0जी0 के विद्वान जे0सी0 ने इस बात पर विवाद नहीं किया है कि गैर–सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूल के शिक्षकों को देय अवकाश नकदीकरण राशि से संबंधित मुद्दा जो मरियम तिर्की (ऊपर) के मामले में दिए गए निर्णय द्वारा तय किया गया है और इसकी पुष्टि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई है।

6. पार्टियों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, ऐसी परिस्थितियों में, रिट याचिका को, याचिकाकर्त्तागण के संबंधित सेवा रिकॉर्ड की उचित जांच के बाद छुट्टी नकदीकरण राशि देने के मामले में याचिकाकर्त्ता की ओर से अभ्यावेदन के साथ आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से बारह सप्ताह की अवधि के भीतर मरियम तिर्की (ऊपर)

के मामले में दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए प्रतिवादी संख्या 4 को निर्देश देते हुए, निस्तारण किया जाता है।

7. तद्नुसार, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(श्री प्रमाथ पटनायक, न्याया0)